



# रोज़गार समाचार



खण्ड 38 अंक 34 पृष्ठ 48

नई दिल्ली 23 - 29 नवंबर 2013

₹ 8.00

## आरक्षण से परे : विकलांगजनों के लिए रोज़गार

जावेद आबिदी और दोरोदी शर्मा

**वि** कलांग व्यक्तियों के लिए रोज़गार के बारे में 7 से 10 करोड़ के बीच विकलांगजनों को खुशी हुई है और यह उचित भी है। लेकिन इस भारी जीत का जश्न मनाते समय हमें देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यापक परिदृश्य को नहीं भूलना चाहिए, जो 3 प्रतिशत आरक्षण से अधिक की आवश्यकता का एहसास करता है।

विकलांगजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत 1977 में उस समय हुई थी जब सरकार ने एक आदेश के जरिए विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह 'ग' और 'घ' श्रेणी के पदों में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। हालांकि यह सही दिशा में एक कदम था, फिर भी इसमें यह धारणा अंतर्निहित थी कि विकलांग व्यक्ति केवल चपरासी, माली आदि के लिए उपयुक्त हैं, परंतु उन्हें अधिकारी बनने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। किंतु, इससे भी आश्वर्य की बात यह थी कि करीब दो दशक तक इस धारणा में कोई परिवर्तन नहीं आया। केवल 1995 में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 3 प्रतिशत आरक्षण सभी श्रेणियों (क, ख, ग और घ) के लिए दिया जाए और दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और अस्थि बाधित तीनों प्रकार के विकलांग जनों को एक-एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

90 के दशक के मध्य तक सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों की संख्या कम होने लगी। 1995 का कानून धारा 41 को छोड़ कर निजी क्षेत्र पर लागू नहीं होता, जिसमें कहा गया है कि 'उपयुक्त सरकारी और स्थानीय प्राधिकरण, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों के ऐसे नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करें जो अपने कार्मिकों में कम से कम 5 प्रतिशत विकलांगजनों को शामिल करें'।

1999 में राष्ट्रीय विकलांग जन रोज़गार संवर्धन केंद्र

(एनसीपीईडीपी) ने विकलांग व्यक्तियों के रोज़गार की स्थिति का पता लगाने के लिए 100 बड़ी कंपनियों में एक सर्वेक्षण करवाया। इसके नतीजे अपने आप में स्पष्ट थे। सरकारी क्षेत्र में विकलांगजनों का प्रतिशत 0.54 था; जबकि निजी क्षेत्र में विकलांगजनों का प्रतिशत 0.28 था। बहु राष्ट्रीय कंपनियों में मात्र 0.05 प्रतिशत विकलांग जन कार्यरत थे। यह दुःखद है कि विकलांगजनों के रोज़गार के बारे में अभी तक यही एकमात्र व्यापक अध्ययन किया गया है। एनसीपीईडीपी (नेशनल सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल) ने 2009 में ऐसा ही एक सर्वेक्षण कराया और हम अधिकारपूर्वक कह सकते हैं कि आंकड़ों में मामूली परिवर्तन हुआ है। विकलांगजनों की भागीदारी क्षेत्र में औसतन 1 से 2 प्रतिशत और निजी क्षेत्र में 0.5 से 1 प्रतिशत पर पहुंच है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 2012 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 65 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विकलांगजनों के लिए आरक्षित 6611 बैकलॉग रिक्तियां नहीं भरी गई हैं। बैकलॉग रिक्तियों के रूप में पहचान किए गए कुल पदों की संख्या 7628 थी और केवल 1017 बैकलॉग रिक्तियां भरी गई थीं।

इन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय का आदेश पासा पलटने वाला सिद्ध हुआ है। अभी तक सरकार केवल पहचान किए गए पदों पर 3 प्रतिशत आरक्षण के लिए काम करती रही है। यह अंकड़ा कुछ भ्रामक है जिससे यह आधास होता है कि बड़ी संख्या में विकलांगजनों को रोज़गार प्राप्त होता है जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। अब उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 3 प्रतिशत की गणना कुल रिक्तियों के आधार पर की जाएगी। इस फैसले से मौजूदा रिक्तियों और रोज़गार प्राप्त करने वाले विकलांगजनों के बीच अंतर कम होता है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था पर प्रसन्न होते समय हमें दिल्ली नियमण द्वारा व्यवस्थीय पर भी ध्यान देना

चाहिए जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी। वास्तव में उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि 3 प्रतिशत पदों की गणना रिक्तियों के आधार पर नहीं बल्कि कुल कार्मिकों की संख्या के आधार पर की जानी चाहिए। ये सूक्ष्म बिंदु इस समूचे प्रकरण में उजागर नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें उजागर करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि इस देश में विकलांगता को मामूली वरीयता दी गई है और इसीलिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई है। इससे इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित होगा कि विकलांग जनों को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है और संभव है कि यह फैसला नीति निर्माताओं को समूचे प्रकरण को समग्रता में देखने के लिए बाध्य करे। विकलांग बच्चों में से केवल 2 प्रतिशत किसी तरह की शिक्षा तक पहुंच कायम कर पाते हैं, चाहे वह मुख्य धारा की विशेष शिक्षा हो या घर पर शिक्षा हो। इससे भी कम विकलांगजन कालेज और विश्वविद्यालय में पहुंच पाते हैं। बिना शिक्षा के रोज़गार का सपना पूरा नहीं हो सकता। जैसे तैसे करके उच्चतर शिक्षा तक पहुंच कायम करने वाले विकलांग जनों को भी परिवहन, बुनियादी सुविधाओं, वेबसाइटों, सूचना और यहां तक कि लोगों के नजरिए जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। रोज़गार इतना जटिल मुद्दा है जिसे "आरक्षण" नाम की जादू की छड़ी से हल नहीं किया जा सकता। बिना शिक्षा के रोज़गार संभव नहीं है और पहुंच कायम किए बिना न तो शिक्षा संभव है और न ही रोज़गार।

शिक्षा, रोज़गार, पहुंच जैसी समस्याओं का समाधान सुदृढ़ भेदभाव विरोधी कानून के जरिए किया जा सकता है। निजी क्षेत्र से भी कहा जाना चाहिए कि वह आरक्षण के जरिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करते हुए विकलांगजनों की मदद करे कि विकलांगता के आधार पर रोज़गार में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनेक देशों ने प्रोत्साहन, अनुदान और छूट आदि प्रदान करके निजी क्षेत्र को

विकलांगजनों के रोज़गार के लिए सुगम बनाया है। कोई कारण नहीं है कि भारत ऐसा न कर सके। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए 2008 में शुरू की गई प्रोत्साहन योजना के बांधित परिणाम सामने नहीं आए हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार तीन वर्ष की अवधि के लिए निजी क्षेत्र में 25000 रुपये और उससे अधिक आमदान प्राप्त करने वाले विकलांग जनों के भविष्यनिधि अंशदान में नियोक्ता के हिस्से का भुगतान करेगी। 1800 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले इस कार्यक्रम के जरिए हर वर्ष एक लाख रोज़गार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन कई वर्षों के बाद रोज़गार के केवल 1000 अवसर सुनिश्चित हुए हैं। इस योजना में लाभ और करों से छूट देने की भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है जो निजी क्षेत्र की समझ में आती है।

विकलांगजनों को रोज़गार प्रदान करना व्यापर का जबर्दस्त आधार हो सकता है। अनेक कार्पोरेट इसे पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। विकलांगता दान की अपेक्षा नहीं करती। विकलांगजनों की समस्या का समाधान "भिन्न दृष्टि से सक्षम" और "विशेष क्षमतावान" जैसी शिक्षितियों से नहीं होगा। इसका समाधान मानवाधिकारों से जुड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आधी सदी पहले ही गंवा चुका है। अब हमें इस दिशा में और समय नहीं गंवाना चाहिए।

(जावेद आबिदी भारत में सभी श्रेणियों के विकलांगों के लिए आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। वे नेशनल सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल (एनसीपीईडीपी), दिल्ली के अवैतनिक निदेशक हैं। दोरोदी शर्मा संचार एवं पत्रकारिता में स्नातक हैं। वर्तमान में एनसीपीईडीपी में प्रोग्राम मैनेजर का पद संभालने से पहले वे एनडीटीवी में काम कर चुकी हैं।)

ई-मेल: abdi.j@gmail.com  
dorodi.sharma@gmail.com

### रोज़गार सारांश

#### सेल

● स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता को 86 कनिष्ठ सहायकों (प्रशिक्षी) की आवश्यकता।  
अंतिम तिथि: 14.12.2013

#### ओएनजीसी

● तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को 52 एप्जिक्यूटिव और स्पेशलिस्ट/डोमेन विशेषज्ञों की आवश्यकता।  
अंतिम तिथि: 13.12.2013

#### बीआरबीएनएमपीएल

● भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड को 42 सहायक प्रबंधकों की आवश्यकता।  
अंतिम तिथि: 09.12.2013

#### सं.लो.से.आ.

● संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित।  
अंतिम तिथि: 12.12.2013

#### वेब विशेष

www.rojgarsamachar.gov.in के वेब विशेष खण्ड में निम्नलिखित आलेख उपलब्ध हैं:

1. सचिन तेंदुलकर: महान क्रिकेटर

### व्यक्तित्व परीक्षण का महत्व

कोवल डी.एस.

व्यक्तित्व परीक्षण अथवा प्रोफाइल निर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापक प्रक्रियाएं और परीक्षण शामिल होते हैं। इनमें से कुछेकी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की जांच परियोग के लिए कई तरह के प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, जबकि अन्य सामान्यतः किसी व्यक्ति की श्रेणी विशेष से संबंधित होने की पहचान करते हैं। इन सभी दृष्टिकोणों का एक समान समाधान पर जोर होता अर्थात् वे व्यक्तित्व की विशेषताओं की पहचान कुछ इस तरह करते हैं जो कि उनके व्यवहार को समझने और अनुमान लगाने में सहायक होती है।

व्यक्तित्व परीक्षण- किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक खास स्थिति में पहचान करने का जरिया होता है। यह कोई बुद्धिमत्ता या योग्यता का मापन नहीं है बल्कि उसके व्यवहार के बारे में होता है। रूपरेखा में वरीयतन व्यवहार दृष्टिकोण होता है जो कि ज्यादातर लोगों में अवचेतन रूप में आ जाता है। ये उनका व्यवहार ही होता है जिसके साथ वे सहज अनुभव करते हैं और लंबी अवधि तक उस पर कायम रह सकते हैं। इस व्यवहार के मापन का ज़रिया एक प्रश्नावली होता है जिसमें उत्तरदाता को उन बातों को चुनने का विकल्प दिया जाता है कि उसे व्यवहार में सबसे अधिक और सबसे कम क्या प्रसंद होता है। इस प्रश्नावली के परिणामस्वरूप उत्तरदाता का व्यक्तित्व परीक्षण स

## व्यक्तित्व की...

(पृष्ठ 1 का शेष)

चौथाईं प्रतिशत किसी मनोवैज्ञानिक रूपरेखा पर टिका होना चाहिए-अन्य पचहतर प्रतिशत साक्षात्कार, पूर्व के अनुभव/सीधी और अहताओं पर आधारित होना चाहिए।

इस प्रकार के परीक्षण से होने वाले फायदों की प्रकृति का अंदर्जलगाना कोई कठिन काम नहीं है। यदि हमें किसी व्यक्ति के उपके कार्य के प्रति दृष्टिकोण के तहत पनप रही अभिप्रेणाओं और संचालकों की प्रकृति का अंदर्जलगाना हो जाता है, तो इससे निम्नलिखित संभव हो सकता है:

- यह समझना कि व्यक्ति जिन तरीकों से काम करता है उसे ऐसा बनाने में किन तर्कों का योगदान होता है।
- उन्हें अपने तौर तरीकों से नए और चुनौतीपूर्ण कार्य हाथ में लेने के लिए प्रेरित करने वाली स्थितियाँ।
- यह अनुमान लगाना कि वे विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह प्रतिक्रिया देने वाले हैं।
- किसी खास कार्यों या भूमिकाओं के लिए सही व्यक्तियों का चयन।

### सेनाएं चयन बोर्ड

सेनाएं चयन बोर्डों (एसएसबी) द्वारा एसी (मूल्यांकन केंद्र) पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जो कि भारत में सशस्त्र बलों के लिए अधिकारियों का चयन करते हैं। एसएसबी मुख्यतः तीन प्रकार की तकनीकों 1) साक्षात्कार, 2) समूह कार्य और 3) मनोवैज्ञानिक परीक्षण (व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण) का प्रयोग करते हैं। उम्मीदवार का एक साक्षात्कारकर्ता अधिकारी, एक जीटीओ और एक मनोवैज्ञानिक द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है, प्रत्येक अपनी स्वयं की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और प्रत्येक, अधिकारी जैसे 15 गुणों के समान, मानदंड का प्रयोग करते हैं।

### सामान्य व्यक्तित्व परीक्षण

इस पेपर का उद्देश्य उन उम्मीदवारों और अन्यों को जानकारी देना होता है जो कि सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी के तौर पर चयन के लिए एक नये अथवा दोबारा से बने उम्मीदवार के तौर पर उपस्थित हो रहे

अथवा होते हैं। सशस्त्र सेनाओं का उद्देश्य “आपके अंदर क्या कुछ है”, एक ऐसा अनेकार्थक व्याक्यांश है जिसे, सामान्य युवा इस उद्देश्य के मतलब को समझ पाने में असमर्थ होता है। उद्देश्य में कुछ भी गलत गुणों का सदैव अभाव पाया गया है।) नहीं है। समस्या चयन प्रक्रिया और सशस्त्र सेनाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) में एक अधिकारी के तौर पर होने वाले व्यक्तित्व के अपेक्षित गुणों के बारे में जागरूकता के स्तर को लेकर होती है। सेना और नौसेना बोर्ड में सेवारत वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक के तौर पर उम्मीदवारों की मूल्यांकन के व्यक्तित्व अनुभव के आधार पर आपके सामने सफल उम्मीदवारों की सामान्य व्यक्तित्व रूपरेखा यहां प्रस्तुत है। शुरूआत करने वालों के लिए एक संक्षिप्त सिंहावलोकन प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके तहत तीन तकनीकें होती हैं और उनके मूल्यांकनकर्ताओं को आईओ (साक्षात्कारकर्ता अधिकारी), जीटीओ (समूह परीक्षण अधिकारी), और मनोवैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता है। एसएसबी में उपस्थित हो रहे उम्मीदवारों को चयन के चरण-1 (स्क्रीनिंग) और चरण 2 से गुजरना होता है। अध्यर्थियों का, सभी तीन मूल्यांकनकर्ता शुरूआत के पहले दिन से ही मूल्यांकन करते हैं। कुल परीक्षण कार्यक्रम पांच दिनों का होता है। चरण 1 (प्रथम दिवस) में बुद्धिमत्ता परीक्षण, चित्र अवधारणा और तदुपरांत समूह चर्चा शामिल होती है। चरण 1 का आशय वैज्ञानिक तरीके से स्क्रीनिंग करना होता है, जहां ऐसे उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाता है जो कि सामान्य स्तर से नीचे के होते हैं और अन्य को चरण 2 परीक्षण (चार दिवसीय) में प्रवेश का अवसर दिया जाता है। चरण-2 में अध्यर्थियों का व्यापक परीक्षण संचालित किया जाता है।

सशस्त्र बलों में एक महत्वपूर्ण प्रकार की नियमिता व्यक्ति विशेष के गुणों के किसी महत्वपूर्ण पद को धारण करता है। ये गुण अंशतः उस विशेष स्थिति की संरचना में किसी महत्वपूर्ण पद को धारण करता है। ये गुण अंशतः उस विशेष स्थिति की संरचना में अपेक्षित उत्साही व्यक्ति होते हैं। उनकी प्रभावित होते हैं। व्यक्तित्व अनुभवों से यह

स्पष्ट होता है कि “सफल” उम्मीदवारों में सामान्यतः कई विशेष गुण मौजूद रहते हैं। (यह भी स्पष्ट है कि संगठन के भीतर “असफल” रहने वालों में संयोगवश इन गुणों का सदैव अभाव पाया गया है।) व्यक्तित्व में व्यक्तित्व: विशिष्ट स्पष्ट रूप से मौजूद थी, परंतु इन विशेष पहलुओं के बावजूद, सभी सफल उम्मीदवारों में निम्नलिखित सामान्य व्यक्तित्व खूबियां थीं:

### उपलब्धि की इच्छा

सफल उम्मीदवारों ने उच्च अभियान और उपलब्धि की इच्छा दर्शाई। उन्होंने स्वयं को एक मेहनती और लक्ष्य हासिल करने वाले व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया जिसमें प्रफुल्लित होने की खूबी मौजूद रहती हैं। उन्हें पूर्ण उत्पाद का मात्र चिरंतन करने की बजाए कार्य करने में अधिक प्रसन्नता महसूस होती है। कुछ हद तक वे स्वप्नकर्ता की बजाए कार्यकर्ता होते हैं।

### वास्तविक दिशानिर्देश

वे मजबूती के साथ तात्कालिक वास्तविकताओं और उनके प्रभावों से उन्मुख रहते हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से व्यावहारिकता, तात्कालिकता और प्रत्यक्षता में रुचिकर होते हैं, और वास्तविकता की अतिविकसित भावना एक दृष्टिकोणयुक्त व्यक्तित्व भले न हो, लेकिन दृष्टिकोण लक्ष्य वाले व्यक्ति को वास्तविकता से ऊपर जाकर योजना बनानी चाहिए और यहां तक कि भविष्य की संभावनाओं को लेकर कार्यक्रमांकन करना चाहिए।

### परिणामी अभियान

उन्हें गतिशीलता का संचालन होता है। वे निरन्तर आगे बढ़ने और बढ़ती निपुणता के लाभों के संचयन की आवश्यकता को महसूस करते हैं। वे बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के लिए संघर्ष करते हैं और उनमें कार्य के पूरा होने की संतुष्टि का मजबूत अहसास संचालित होता है। संपन्न कार्य और नवाहासिल सक्षमता उन्हें सतत गतिशीलता का अहसास करती है। कार्य पूरा करने को लेकर उत्साह और ऊर्जा बहुत ही जोरदार होती है।

### गतिविधि और उत्साह

वे सक्रिय, संघर्षपूर्ण और सामाजिक रूप से अपेक्षित उत्साही व्यक्ति होते हैं। उनकी विशिष्ट प्रेरणाएं सक्रिय और उत्साह से भरी

होती हैं और ज़रूरी नहीं कि लोगों के साथ उनके व्यवहार में खुलकर शत्रुता नज़र आए। यह सक्रियता और उत्साही प्रवृत्ति उनके कार्य में सदैव अच्छी तरह संचालित रहती है जो कि किसी विशेष कार्य को करते रहने और सक्रिय रहने के बास्ते एक सतत आवश्यकता होती है। इसका यह कर्तव्य अर्थ नहीं कि उन्हें हमेशा शारीरिक रूप से हिलते-जुलते दिखाई देते रहना होगा और शारीर को गतिशील बने रहना होगा, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होता है कि क्या वे मानसिक और भावनात्मक रूप से चौकन्ने और सक्रिय रहते हैं।

### निर्णायकता

इस समूह का एक अन्य गुण निर्णायकता होता है। यह कार्रवाई के कई वैकल्पिक अभियानों के बीच निर्णय लेने की योग्यता होती है कि क्या इसे उसी वक्त किया जाए अथवा तीव्र और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अंतिम फैसला करते हुए किया जाए।

### प्राधिकार की धारणा

वे प्राधिकारी को नियंत्रक के तौर पर मानते हैं परंतु वरिष्ठों के साथ मददपूर्ण संबंध रखते हैं। वे अपने वरिष्ठों को एक उन्नत प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिनसे वे विशेष समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकते हैं और जो उन्हें कुछ दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। वे अपने वातावरण में प्राधिकारियों को नकारात्मक अथवा निषेधात्मक बलों के तौर पर नहीं देखते हैं।

### असफलता का डर

यदि कोई व्यक्ति सतत रूप से सक्रिय होता है और सदैव समस्याओं का समाधान ढंगने के प्रयास करता है और निर्णय पर पहुंच जाता है, तो ऐसा सफलतापूर्वक करने की अयोग्यता के परिणामस्वरूप उसमें कुंदा पनप सकती है। उनमें विशिष्ट गुणों की दृढ़ता और सक्रियता के बावजूद, ये भावना घर कर सकती है कि हो सकता है वे वास्तव में सफल न हो सकेंगे और जो वे करना चाहते हैं कि वे क्या हैं और वे क्या चाहते हैं तथा उनके वे सब हासिल करने की सुविकसित तकनीकें हैं, जो वे प्राप्त करना चाहते हैं। सामान्य तौर पर वे अपने अपेक्षित तथ्यों के दायरे के भीतर काफी लचीलापन और अनुकूलता बनाए रखते हैं।

### कुल मिलाकर जो व्यक्ति सफल होते हैं

उनमें अपनी प्रतिभा-परीक्षण रेटिंग्स में व्यापक तौर पर भिन्नता होती है, इनमें से ज्यादातर में सुपरिचित स्थितियाँ संचालित करने और अपने संगठन के प्रभावों को देखने की योग्यता होती है। वे भविष्य पर ध्यान देने में रुचिकर होते हैं और अपने निर्णयों तथा कार्यों के परिणाम का अनुमान लगाने के प्रति चिरित रहते हैं। वे विशेष वर्षांग व्यक्ति दूसरों से ज़ुड़ाव महसूस करता है और उन्हें समझता है तो इससे निकटता आती है।

### संयोगशीलता और निर्भरता

वे एक ऐसे व्यापक संगठन के दायरे के भीतर काम करते हैं जिसमें सहयोग, समूह और वफादारी आवश्यक होती है, वहां पिता

की छवि के ऊपर निर्भरता की भावना अवश्य होनी चाहिए और स्थापित दायरे के भीतर संचालित होने की ज़रूरत होती है। यह संपूर्ण दायरा एक अपेक्षित दिशानिर्देशन उपलब्ध करवाता है और उन्हें अपनी उपलब्ध पर ध्यान केंद्रित करने की स्थिति प्रदान करता है तथा संपूर्ण संगठन के नीति निर्माण के लिए केवल न्यूनतम चिंता के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है।

### आत्म संरचना

कुछ व्यक्तियों में निश्चितता का अभाव होता है और वे आसानी से बाहरी दबावों के प्रभाव में आ जाते हैं। सफल उम्मीदवार वे कहलाते हैं जो कि अपनी स्वयं की पहचान, अपनी आत्म संरचना की धारणाओं की मजबूती अथवा संबद्ध कमज़ोरी के प्रति जागरूक होते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या ह